

14162
24/12/12

lvo

राष्ट्रीय मुद्रांक अधिक. की धारा
अनु. 11
2222600
अतिरिक्त 11100



सिधवेन्द्र शर्मा
मुद्रांक विक्रेता
1529, पत्ती बाजार, भद्र

उप-पंजीयक

13 1 DEC 2012

आज ता.....मास..... सन् 20

को पुस्तक क्र.....
ग्रन्थ 564 के 5 पृष्ठ

977101 पर क्रमांक 7156

देवी पंजीयक किया गया।

उप-पंजीयक
उप-जिला, इन्दौर-1



वरिष्ठ पंजीयक
इन्दौर-1
क्षेत्र-1/4

मुद्रांक शुल्क
पंजीयन शुल्क 22360
पृष्ठांकन शुल्क 25
घंस्या शुल्क 210
योग 22595

उप-पंजीयक
उप-जिला, इन्दौर - 1

1149
24/1/12

2000

$$\frac{2000}{8} + \frac{5000}{2} + \frac{1000}{2} + \frac{500}{2} + \frac{100}{2} = 172600$$

14149 ₹ 14162


कार्यालय का
दिनांक
24 FEB 2012
राधावेन्द्र शर्मा
मुद्रांक विकला
1529, पत्नी बापार, मह

~~कोई भी प्रकार का लेखा खाता नहीं है जो कि 172600 का बकाया है~~
~~इस खाते में~~

राधावेन्द्र शर्मा
मुद्रांक विकला
1529, पत्नी बापार, मह

~~वही खाता है जो कि 172600 का बकाया है~~
~~इस खाते में~~

L72600



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

906774

भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प कागज पर मुद्रित

यह मुद्रांक पत्र पंजीकृत
 बस्ताबैंज के तहत है।
 क्षेत्र क्र. 1/4

यह मुद्रांक पत्र पंजीकृत
 बस्ताबैंज के तहत है।
 क्षेत्र क्र. 1/4

②
7156
311144
1


2231
20
45
22595

- 12. यह कि, इस विक्रय से किसी भी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं होता है।
- 13. यह कि, सदर संपत्ति के स्वत्व प्रमाण हेतु भू-अधिकार पुस्तिका एवं पी II की सत्यं प्रतिलिपि प्रथमपक्ष ने विक्रय पत्र पंजियन के लिये प्रस्तुत की हैं।
- 14. यह कि, उक्त विक्रीत भूमि के इस विक्रय व्यवहार से धारा 165(6), 7(क) व 7 (ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 का तथा मध्यप्रदेश कृषि खातों को अधिकतम सीमा संशोधन अधिनियम 1972 का या उसके किसी भी प्रावधानों को उल्लंघन नहीं होता है।


अतः यह विक्रय लेख प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हित में, अपनी राजी खुशी से, सोचसमझकर, स्वस्थचित्तावस्था में बगैर किसी दबाव के, निम्नलिखित गवाहों के समक्ष निष्पादित कर दिया सो सही ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे। इति।

दिनांक: 20/7/11

साक्षीगण :


1. हस्ताक्षर 
 नाम : राजेंद्र बघतनगर
 पता : 25 जगरागा, इंदौर

हस्ताक्षर -- प्रथमपक्ष (विक्रेतापक्ष)

2. हस्ताक्षर 
 नाम : आशीष राममिश्र
 पता : 25.वी. रोड, मीठानी, इंदौर


.....
 (नारायण सिंह पिता मादू सिंह)

हस्ताक्षर -- द्वितीय पक्ष (क्रेतापक्ष)
 For Gyansheela Developers Ltd.


 (आशीष राममिश्र लिमिटेड तर्फे)
 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अतुल ज्ञानचन्दजी

उभयपक्षों द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर इस लेख का प्रारूप मेरे द्वारा तैयार किया गया।

For Gyansheela Developers Ltd.



 Authorised Signatory

नारायण सिंह

5

IA 171SG

7156



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 378891

मुद्रांक शुल्क रुपये	1,90,000.00	सुविधा हल्का नंबर: 70
पंचायत ड्यूटी रुपये	28,000.00	अधिकार एवं ऋण पुस्तिका
उपकर ड्यूटी रुपये	6,500.00	क्रमांक - एन-104100
कुल रुपये	1,62,500.00	बाजार मूल्य रुपये : 26,00,000 / -
		व्यवहार मूल्य रुपये : 26,00,000 / -

:: विक्रय लेख ::

भूमि का विक्रय पत्र लिख देने वाले

श्री नारायणसिंह पिता मादूसिंह
निवासी ग्राम ढाबली तहसील सावेंर जिला इंदौर (म.प्र.)

- विक्रेता

(जिन्हें वर्तमान में सुविधा की दृष्टि से "विक्रेतापक्ष-प्रथमपक्ष" के नाम से संबोधित किया गया है, जिसमें इन्होंने समस्त निष्पादक, प्रशासक, असायनीज, वैध उत्तराधिकारी, मुख्त्यार एवं समस्त हितबध व्यक्ति भी सम्मिलित है)

अविरत.....2

For GyanSheela Developers Ltd

Authorised Signatory

श्री नारायणसिंह

22

भूमि का विक्रय पत्र लिखवा लेने वाले

ज्ञानशीला डेव्हलपर्स लिमिटेड

कार्यालय - 6, ज्ञान्स पार्क, टेलिफोन नगर, इन्दौर

दर्जे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अतुल पिता ज्ञानचन्द्रजी

निवासी - 10, ज्ञान्स पार्क, टेलिफोन नगर, इन्दौर

- क्रेता

(जिन्हें वर्तमान में सुविधा की दृष्टि से "क्रेतापक्ष-द्वितीयपक्ष" के नाम से संबोधित किया गया है, जिसमें इन्हींके समस्त निष्पादक, प्रशासक, असायनीज, वैध उत्तराधिकारी, मुखत्यार एवं समस्त हितबंध व्यक्ति भी सम्मिलित है) के हित में निम्नानुसार लिखा जा रहा है, ऐसा कि :-

1. यह कि, प्रथमपक्ष के मालकी व आधिपत्य की भूमि ग्राम ढावली तहसील सांवेर जिला इंदौर के पटवारी हल्का नं. 70 में सर्वे नं. 70 रकबा 0.633 हेक्टर एवं सर्वे नं. 104/1/1 रकबा 1.265 हेक्टर है। सदर संपत्ति राजस्व विभाग में प्रथमपक्ष के नाम से दर्ज है। विक्रय की जा रही सदर संपत्ति का वर्णन व चतुःसीमा निम्नानुसार है:-

सर्वे क्रमांक	रकबा हेक्टर में
70 पैके	0.507
योग :-	0.507

चतुःसीमा :-

पूर्व में :: सर्वे नं. 172/2 (रूचि सोया की भूमि)
पश्चिम में :: सर्वे नं. 71 (तेज सिंह वगैरह की भूमि)
उत्तर में :: विक्रेता की शेष भूमि
दक्षिण में :: सर्वे नं. 69 (लक्ष्मण की भूमि)

संक्षिप्त में सुविधा की दृष्टि से "सदर संपत्ति" कहा गया है।

अविरत...3

For Gyansheela Developers Ltd.

Authorised Signatory

अतुल पिता ज्ञानचन्द्रजी

पूता श्रीमन्मोतीलाल देवरा

अनुल पिता रामचंद्र

10 टुकडों में बांटा कैलाश

कि मोरायणदास पिता दादासाहेब

दादासाहेब

जिनमें से मोरायणदास से जानता है
वैधानिक कर्तव्य है कि तथाकथित
पिता मोरायणदास का निवाहन किया
जाय रामचंद्र / मोरायणदास
रु. 2600000
पिता मोरायणदास से
तथा मोरायणदास (जन्म दादासाहेब से)
शर्तों के अंतर्गत जो उपस्थिति में
सुझाये जाये, और प्रतिफल की
भकाया रखे, यथा रु.
बच गई है जो पंजीयन के बाद प्राप्त
होगी। आज तारीख

1) दादासाहेब श्रीमन्मोतीलाल
दादासाहेब

2) मोरायणदास श्रीमन्मोतीलाल
मोरायणदास

पंजीयन के बाद
आज तारीख 20/7/11
उप पंजीयक
छप-जिला, इन्दौर - 1

72. यह कि, सदर संपत्ति प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को कुल रुपये 26,00,000/- (अक्षरी रूपये छब्बीस लाख मात्र) में विक्रय कर दी होकर विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण राशि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से निम्नानुसार प्राप्त कर ली है :-

राशि	विवरण
1,00,000.00	अक्षरी एक लाख रुपये मात्र दिनांक 29.06.2011 को नगदी द्वारा।
5,00,000.00	अक्षरी पाँच लाख रुपये मात्र चेक क्र. 272902, भारतीय स्टेट बैंक गोयल नगर शाखा, इन्दौर द्वारा।
5,00,000.00	अक्षरी पाँच लाख रुपये मात्र चेक क्र. 272903, भारतीय स्टेट बैंक गोयल नगर शाखा, इन्दौर द्वारा।
5,00,000.00	अक्षरी पाँच लाख रुपये मात्र चेक क्र. 272904, भारतीय स्टेट बैंक गोयल नगर शाखा, इन्दौर द्वारा।
5,00,000.00	अक्षरी पाँच लाख रुपये मात्र चेक क्र. 272905, भारतीय स्टेट बैंक गोयल नगर शाखा, इन्दौर द्वारा।
5,00,000.00	अक्षरी पाँच लाख रुपये मात्र चेक क्र. 272906, भारतीय स्टेट बैंक गोयल नगर शाखा, इन्दौर द्वारा।
26,00,000.00	कुल राशि रुपये छब्बीस लाख मात्र

इस प्रकार प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण रकम प्राप्त हो गई होकर अब प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से विक्रय प्रतिफल पेटे कोई राशि लेना शेष नहीं रही है, जिसकी अभिस्वीकृति प्रथमपक्ष इस लेख द्वारा करते हैं। सदर संपत्ति प्रथमपक्ष ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने परिवार की सहमती से द्वितीयपक्ष को विक्रय की है।

3. यह कि, सदर संपत्ति का रिक्त आधिपत्य प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को मौके पर जाकर सौंप दिया है।

4. यह कि, प्रथमपक्ष से आशय से स्वयं तथा उनके समस्त उत्तराधिकारी, समनुदेशिती, आदेशिती, अटार्नीज आदि सम्मिलित हैं तथा द्वितीयपक्ष से आशय स्वत्वग्रहण करने वालों से हैं।

5. यह कि, सदर संपत्ति के विक्रय पत्र का समस्त व्यय द्वितीयपक्ष ने वहन किया है।

For Gyansheela Developers Ltd.

अविरत...4

Authorised Signatory

जारायणीरत


For Gyanahsain Developers Ltd.



Authorised Signatory

निष्पादक / पालक / अभिकर्ता
S.P.D. के अंगुठे
का निर्यात पर समझ ता 2017/11
को किया गया।

उप-जिला, इन्दौर - 1
अश्वीष



निष्पादक / पालक / अभिकर्ता
S.P.D. के अंगुठे
का निर्यात पर समझ ता 2017/11
को किया गया।

उप-जिला, इन्दौर - 1



अश्वीष

निष्पादक / पालक / अभिकर्ता
S.P.D. के अंगुठे
का निर्यात पर समझ ता 2017/11
को किया गया।

उप-जिला, इन्दौर - 1

अश्वीष



निष्पादक / पालक / अभिकर्ता
S.P.D. के अंगुठे
का निर्यात पर समझ ता 2017/11
को किया गया।

उप-जिला, इन्दौर - 1



अश्वीष

6. यह कि, सदर संपत्ति के संबंध में प्रथमपक्ष को आज दिनांक तक जो भी हक, स्वत्व, अधिकार, सुखाधिकार आदि प्राप्त थे वे समस्त हक, स्वत्व अधिकार, सुखाधिकार आदि इस लेख के जरिये द्वितीयपक्ष में वैधित हो गये हैं। अब द्वितीयपक्ष सदर संपत्ति का उपयोग व उपभोग अपनी इच्छानुसार वंश परम्परानुसार लेते जावेंगे, इसमें अन्य किसी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं रहेगा। फिर भी यदि अन्य किसी ने द्वितीयपक्ष के हक अथवा कब्जे में अन्य किसी ने दखलंदाजी उत्पन्न की तो आपत्तिकर्ता का मन प्रथमपक्ष अपने खर्च से मनावेंगे तथा द्वितीयपक्ष को नुकसानी नहीं लगने देवेंगे।
7. यह कि, सदर संपत्ति प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के सिवाय अन्य किसी को किसी भी प्रकार से अंतरित नहीं की है तथा न ही इस पर किसी के कर्ज, जमानत, मेन्टेनेंस, अटेचमेंट, डिक्ली, वारिसाने आदि का कोई भार है तथा न ही सदर संपत्ति बाबद कोई प्रकरण विचाराधीन है तथा न ही सदर संपत्ति पर अन्य किसी का अतिक्रमण है तथा न ही सदर संपत्ति में शासकीय, नजूल अथवा पट्टे आदि की भूमि शामिल है। सदर संपत्ति पर कोई देव, पीर स्थान आदि भी नहीं हैं। सदर संपत्ति पूर्णतः भाररहित है। फिर भी आज दिनांक के पूर्व का सदर संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भार पाया गया तथा इससे द्वितीयपक्ष को नुकसान हुआ तो उसकी नुकसानी की भरपायी मय हर्जे-खर्चे के करने का दायित्व प्रथमपक्ष का रहेगा।
8. यह कि, सदर संपत्ति के संबंध में आज दिनांक तक के लगने वाले समस्त, ड्यूज, टेक्सेस, लगान व अन्य व्यय आदि प्रथमपक्ष वहन करेंगे तथा आज दिनांक के पश्चात से सदर संपत्ति के संबंध में लगने वाले समस्त टेक्सेस, लगान व व्यय आदि द्वितीयपक्ष वहन करते जावेंगे।
9. यह कि, प्रथमपक्ष किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है, नहीं थे एवं उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने का उन्हें किसी भी प्रकार की वैधानिक बाधा नहीं है और नहीं किसी शासकीय पूर्वानुमति की आवश्यकता है।
10. यह कि, किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग द्वारा प्रथमपक्ष के स्वत्व संबंधी कोई सूचना पत्र दिया जाता है तो उसका निराकरण प्रथमपक्ष अपने स्वयं के व्यय से करेंगे।
11. यह कि, अब द्वितीयपक्ष इस लेख के जरिये सदर संपत्ति पर अपना नामांतरण समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व स्थानीय विभागों में करवा लेवेंगे। इस कार्यवाही में प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को हस्ताक्षर, बयान, उपस्थिति आदि का पूर्ण सहयोग सहर्ष प्रदान करेंगे।

अविरत...5

For Gyansheela Developers Ltd.


 Authorised Signatory

